

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2026—माघ 10, शक 1947

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2026

क्र.—HOM-18-0083-2025-Gen-दो (HOM).— राज्य शासन, एतद्वारा, भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, —

(1) नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किये जाए, अर्थात् :-

"17. शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास रखने की अनुमति :-

- (क) भोपाल से बाहर स्थानांतरण होने की स्थिति में शासकीय सेवक अधिकतम 06 माह तक की अवधि के लिए सामान्य दर पर आवास धारण अनुमति प्राप्त कर सकेगा. इसके उपरांत दायिद्वक दर से किराया वसूल किया जाएगा एवं बेदखली की कार्यवाही की जाएगी.
- (ख) सेवानिवृत्त होने की स्थिति में शासकीय सेवक 06 माह तक आवास धारण कर सकेगा. सेवानिवृत्त शासकीय सेवक प्रथम 03 माह की अवधि के लिए आवंटित शासकीय आवास सामान्य दर पर धारण कर सकेगा. उक्त अवधि के अवसान उपरांत पुनः आगामी 03 माह की अवधि के लिए किराए की सामान्य दर से 10 गुना दर पर आवास धारण कर सकेगा. इसके उपरांत दायिद्वक दर से किराया वसूल किया जाएगा एवं बेदखली की कार्यवाही की जावेगी.
- (ग) त्यागपत्र देने, सेवा से पृथक् होने अथवा अन्य किन्हीं कारणों से आवास रखने के लिए अनाधिकृत होने पर शासकीय सेवक 03 माह तक की अवधि के लिए द्वारा सामान्य दर पर आवास धारण अनुमति प्राप्त की जा सकेगी. 03 माह की अवधि के अवसान पर नियमानुसार दायिद्वक किराया वसूल किया जाएगा एवं बेदखली की कार्यवाही की जावेगी."

(2) विद्यमान परिशिष्ट-चार के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट स्थापित किया जाए. अर्थात् :-

**परिशिष्ट-चार
नियम-37**

वर्तमान में प्रचलित दरें							प्रस्तावित दरें			
क्र.	आवास श्रेणी	वेतनमान	शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी को मूलभूत नियम 45 'ए' के अधीन मासिक किराया	शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी को मूलभूत नियम 45 'बी' के अधीन मासिक किराया एवं गणमान्य/ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को तथा प्रेस पूल	सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाओं/मान्यता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी संगठन तथा राज्य के सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारी/कर्मचारीगण	भारत सरकार के अधिकारी/कर्मचारीगण	अनाधिकृत आधिपत्य होने पर द्रांढिक मासिक किराया (सामान्य लायसेंस शुल्क का 10 गुना)	नियम 17 (क) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के तीन माह की समयावधि के उपरांत अतिरिक्त तीन माह की अनुमत्य अवधि के लिये (सामान्य लायसेंस शुल्क का 10 गुना)	अनाधिकृत आधिपत्य होने पर द्रांढिक मासिक किराया (सामान्य लायसेंस शुल्क का 30 गुना)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	'बी'	67,000 से अधिक	3,000	6,000	12,000		30,000	30,000	90,000	अनुमत्य अवधि के उपरांत आवास धारण किये जाने पर प्रथम माह में कॉलम 10 में उल्लेखित द्रांढिक मासिक किराया अधिरोपित किया जावेगा तदोपरान्त मूल द्रांढिक मासिक किराये में प्रतिमाह 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि की जावेगी.
2.	'सी'	37,400+10,000 ग्रेड-पे या अधिक	2,400	4,800	9,600		24,000	24,000	72,000	
3.	'डी'	37,400+8,700 ग्रेड-पे या अधिक	1,800	3,600	7,200		18,000	18,000	54,000	
4.	'ई'	15,600+6,600 ग्रेड-पे या अधिक	1,500	3,000	6,000	आवंटिती को प्राप्त होने वाले गृह भाड़ा भत्ते के बराबर की राशि	15,000	15,000	45,000	
5.	'एफ'	15,600+5,400 ग्रेड-पे या अधिक	900	1,800	3,600		9,000	9,000	27,000	
6.	'जी'	5,200+2,800 ग्रेड-पे या अधिक	600	1,200	2,400		6,000	6,000	18,000	
7.	'एच'	5,200+1,900 ग्रेड-पे या अधिक	300	600	1,200		3,000	3,000	9,000	
8.	'आई'	चतुर्थ श्रेणी	100	200	400		1,000	1,000	3,000	

उदाहरण :- अनधिकृत आधिपत्य होने पर प्रतिमाह द्रांढिक किराये की गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

आवास की श्रेणी की सामान्य लायसेंस शुल्क	अनधिकृत आधिपत्य के दौरान अधिरोपित किराया प्रथम माह	अनधिकृत आधिपत्य के दौरान अधिरोपित किराया द्वितीय माह	अनधिकृत आधिपत्य के दौरान अधिरोपित किराया तृतीय माह	अनधिकृत आधिपत्य के दौरान अधिरोपित किराया चतुर्थ माह	अनाधिकृत आधिपत्य के दौरान अधिरोपित किराया पंचम माह	अनाधिकृत आधिपत्य के दौरान अधिरोपित किराया छठवें माह	क्रमशः रिक्त किये जाने की तिथि तक निरंतर उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की जावेगी
3000	90,000	90,000+9000 =99,000	99,000+9000 =1,08,000	1,08,000+9000 =1,17,000	1,17,000+9000 =1,26,000	1,26,000+9000 =1,33,000	

(3) उक्त अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आशीष भार्गव, अपर सचिव.